झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या 08 वर्ष 2023

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता मो० यासिन अंसारी पि० [illegible],
पो०-मरगोमुण्डा,
प्र०-मरगोमुण्डा, देवघर.

DISPOSED
16/05/23.

बनाम

प्रतिवादी DSO, देवघर.

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद सं0–08 / 2023	
	शिकायतकर्ता मो0 यासिन अंसारी एवं अन्य, पो0–मरगोमुण्डा, प्र0–मरगोमुण्डा, जिला–देवघर का शिकायत पत्र आयोग को प्राप्त हुआ जिसमें शिकायतकर्ता द्वारा देवघर जिला के मरगोमुण्डा प्रखण्ड के राशन डीलरों को माह दिसम्बर, 2022 का PMGKAY एवं NFSA तथा माह जनवरी, 2023 का NFSA का अनाज PDS वितरण केन्द्र तक पहुँचाए बिना ही अनाज का उठाव ऑनलाईन कर देने एवं अनाज की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया गया है। परिवादी द्वारा देवघर जिले के सभी सहायक गोदाम मैनेजर, कम्प्यूटर ऑपरेटर एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी के मिली भगत का भी आरोप लगया गया है।	
	शिकायतकर्ता ने इस संबंध में कार्रवाई हेतु अनुरोध किया है। प्राप्त शिकायत पत्र के आलोक में आयोग के पत्रांक–158 दिनांक–27.02.2023 द्वारा विभाग को कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित किया गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए इस पर आयोग स्तर से भी सुनवाई किये जाने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–22.03.2023 को निर्धारित की जाती है।	
	प्रस्तुत मामले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर को प्रतिवादी बनाया जाय। प्राप्त अपील आवेदन की प्रति प्रतिवादी को भेजते हुए उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें।	
	दिनांक–22.03.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें।	
	Sd/- 6.3.23 **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। Sd/- 06/03/23 **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\PC-06\Dropbox\Anju\आदेश...docx86

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
22.03.2023	**वाद संख्या–08 / 2023** अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित। द्वितीय पक्ष से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर का कहना है कि शिकायतकर्ता के सभी आरोप बेबुनियाद हैं और उनके आरोपों को गलत साबित करने के लिए पर्याप्त साक्ष्य उनके पास उपलब्ध है। ऐसे में आयोग जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश देता है कि वो इस वाद से संबंधित सभी साक्ष्य अगली निर्धारित तिथि से पूर्व आयोग को भेजें। अगली सुनवाई दिनांक–25.04.2023 को की जाएगी। आदेश की प्रति उभय पक्ष को भेजे। **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। अपरिहार्य कारण से आज की सुनवाई स्थगित की जाती है। सुनवाई की अगली तिथि दि0. 16.05.2023 को निर्धारित की जाती है। सूचना उभयपक्ष को दें। 25.4.23	

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
	वाद संख्या–08 / 2023	
16.05.2023	अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष अनुपस्थित। द्वितीय पक्ष की ओर से जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर उपस्थित। आज की सुनवाई वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गई। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में उपस्थित जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर द्वारा आयोग को समर्पित प्रतिवेदन आयोग के अभिलेख में मौजूद है। प्रतिवेदन में उल्लेखित तथ्यों के अनुसार FCI से आवश्यकता के अनुरूप अनाज नहीं मिलने के कारण कई जगहों पर दिक्कतें आईं। आयोग FCI द्वारा कम अनाज दिये जाने को गंभीरता से लेता है। आयोग सदस्य सचिव, राज्य खाद्य आयोग को निर्देश देता है कि वे सचिव, खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग से पत्राचार कर इस आशय की जानकारी मांगे कि FCI द्वारा कम अनाज दिये जाने के विरूद्ध केन्द्र से पत्राचार किया गया है अथवा नहीं। यदि पत्राचार किया गया है तो उसकी प्रति मंगाया जाय। इस निर्देश के साथ आयोग वाद को निष्पादित करता है। (शबनम परवीन) सदस्य, राज्य खाद्य आयोग, राँची। (हिमांशु शेखर चौधरी) अध्यक्ष, राज्य खाद्य आयोग, राँची। E:\Ziyaul\Vinod Sir\Commission order.docx65	